रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शुक्रवार, 18 जुलाई, 2003/27 आषाढ़, 1925

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 17 जुलाई, 2003

संख्या एल० एल० आर०-ई० (9)-14/96-लेज-II.—श्री अविनाश चन्द्र, अधिवक्ता ने कुल्लू उप-मण्डल, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर, नौटरी के रूप में नियुक्ति के लिए नौटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) और उसके अन्तर्गत नौटरी नियम, 1956 के अधीन आवेदन किया है और इस सम्बन्ध में अधिनियम और नियमों द्वारा अपेक्षित सभी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, जिला मैजिस्ट्रेट, कुल्लू की सिफारिशों पर, जो कि इस निमित सक्षम प्राधिकारी हैं और नौटरी नियम, 1956 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अविनाश चन्द्र, अधिवक्ता को कुल्लू उप-मण्डल, जिला कुल्लू की सीमाओं के भीतर तुरन्त प्रभाव से पब्लिक नौटरी नियुक्त करते हैं तथा यह भी निदेश देते है कि इनका नाम सरकार द्वारा इस निमित बनाए गए रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए।

आदेश द्वारा,

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि)।

1569-राजपत्र/2003-18-7-2003—1,390.

मूल्य 1 रुपया

[*Authoritative English Text of this Department Notification No. LLR-E*(9)-14/96-*Leg.-II, dated* 17*th July*, 2003 *as required under Article* 348(3) *of the Constitution of India*].

LAW DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 17*th July,* 2003

No. LLR-E (9)-14/96-Leg.-II.—WHEREAS Shri Avinash Chandra, Advocate, Kullu, has applied for appointment as Public Notary under the Notaries Act, 1952 (53 of 1952) and the Notaries Rules, 1956 made thereunder, within the territorial limits of Kullu Sub-Division of Kullu District;

AND WHEREAS all the formalities required under the said Act and Rules have been completed.

NOW, therefore, the Governor, Himachal Pradesh, on the recommendations of the District Magistrate, Kullu, who is a competent authority and in exercise of the powers conferred by section 3 of the said Act, read with rule 8 of the Notaries Rules, 1956 is pleased to appoint Shri Avinash Chandra, Advocate as Public Notary within the limits of Kullu Sub-Division of Kullu district, Himachal Pradesh with immediate effect with the direction that his name may be entered in the Register of Notaries maintained by the Government.

By order,

J. L. GUPTA,
Secretary (*Law*).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित